



2026:AHC: 62002

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2226/2024

श्रीमती मीनाक्षी

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : आदेश कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : अनिल कुमार मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता, मनोज कुमार दुबे

न्यायालय संख्या- 50

माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव

1. वर्तमान आपराधिक अपील अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14-ए(2) के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा थाना खतौली, जिला मुजफ्फरनगर के मुकदमा अपराध संख्या 09 वर्ष 2024 से उत्पन्न जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 322 वर्ष 2024 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120-बी, 342 पठित धारा 34 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अधिनियम मुजफ्फरनगर द्वारा पारित जमानत निरस्तीकरण आदेश दिनांक 03.02.2024 को अपास्त करने के लिए दाखिल की गई है।

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और संपूर्ण अभिलेख का परिशीलन किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. संक्षेप में, अभियोजन का मामला यह है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक के पिता द्वारा यह आरोप लगाते हुए दर्ज कराई गई है कि 07.01.2023 को रात लगभग 08.00 बजे, सूचनादाता का छोटा बेटा करन पाल के बेटे के साथ करन पाल के घर गया था और जब वह वापस नहीं आया तो सूचनादाता ने उसे उसके मोबाइल पर फोन किया लेकिन उसका मोबाइल बंद था, तत्पश्चात, दबाव डालने पर करन पाल के बेटे ने खुलासा किया कि उसका बेटा अभियुक्त अपीलार्थी के घर में था और जब सूचनादाता अपने बेटे लवकुश के साथ अपीलार्थी के घर पहुंचा और उसका गेट खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया, तब संदेह होने पर सूचनादाता के बेटे ने 112 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाया, तत्पश्चात, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जबरन दरवाजा खोला तो पाया गया कि अपीलार्थी मीनाक्षी और तीन अन्य अज्ञात अभियुक्त व्यक्ति मौजूद थे तथा सूचनादाता का बेटा बेहोशी की हालत में बंधा हुआ पड़ा था, जिसके गले में मफलर बंधा था और उसके माथे तथा पैरों से खून भी बह रहा था, तत्पश्चात, वे तुरंत अपने बेटे को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह अभिवेदन है कि अपीलार्थी निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अपीलार्थी ने आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिकथित कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन की कहानी पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है। अपीलार्थी के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। घटना 07.01.2024 को घटित होना बताई गई है जबकि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट 08.01.2024 को दर्ज कराई गई है अर्थात् एक दिन के विलंब से, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथन के साथ-साथ सूचनादाता और अन्य गवाहों के बयानों के अनुसार, तात्त्विक विरोधाभास हैं। जहां तक अवैध संबंधों के आरोप का संबंध है, भले ही इसे सत्य मान लिया जाए, तब भी अपीलार्थी का ऐसा अपराध करने का कोई मकसद या आशय नहीं था क्योंकि अभियोजन के गवाह भी प्रश्नागत अपराध करने के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध कोई मजबूत मकसद बताने में विफल रहे हैं, इसलिए, किसी मजबूत मकसद के अभाव में वर्तमान आपराधिक मामले में अपीलार्थी को झूठा फंसाए जाने से इंकार नहीं किया जा सकता है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि तथ्य के गवाहों का परीक्षण पहले ही किया जा चुका है, इसलिए, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। अपीलार्थी महिला होने के नाते दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के परंतुक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के लाभ

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



की हकदार है। अपीलार्थी अपनी लगभग 4 वर्ष की बच्ची के साथ 11.01.2024 से जेल में निरुद्ध है। अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश त्रुटि और अवैधता से ग्रस्त है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के साथ-साथ सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी की जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी ने यह जानते हुए वर्तमान अपराध किया कि मृतक एससी/एसटी समुदाय से संबंधित था। आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि या अवैधता नहीं है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी अभिवेदनों पर विचार किया है और आक्षेपित आदेश सहित संपूर्ण अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

7. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, वर्तमान अपीलार्थी को सौंपी गई भूमिका और चोट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की यह राय है कि अपीलार्थी ने जमानत के लिए मामला स्थापित किया है। अवर न्यायालय ने अपीलार्थी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करने में त्रुटि की। आक्षेपित आदेश त्रुटि और अवैधता से ग्रस्त है और यह अपास्त किए जाने योग्य है तथा अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

8. तदनुसार, अपील **स्वीकार** की जाती है और अपीलार्थी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश एतद्वारा अपास्त किया जाता है।

9. उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में शामिल अपीलार्थी-**श्रीमती मीनाक्षी** को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर **जमानत पर रिहा** किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाए।

i अपीलार्थी विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।

ii अपीलार्थी अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव/धमकी नहीं देगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



iii व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न होने तक अपीलार्थी नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी।

iv अपीलार्थी उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगी जिसका उस पर आरोप है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

v अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी जिससे कि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

**25 मार्च, 2026**

अजीत

(न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव)